न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.शैतानसिह पुत्र जयसिह 2.नाथूसिह पुत्र जयसिह जतियान राजपूत निवासी जोयला तहसील शिवगंज		1. सुमित्रा पत्नि श्रवण परिहार जाति माली निवासी नेहरू नगर शिवगंज 2. मोहनलाल पुत्र नेनाजी 3. भंवर पुत्र चुनिया 4. प्रभु पुत्र चुनिया जातियान माली निवासीगण पोसालिया (शिवगंज) 5. तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मु.स0 12/2020
दिनांक 07.01–2021

आदेश

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की कृषि आराजी सरहद मौजा पोसालिया तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 234, 236 किता 2 कुल रकबा 09–19 बीघा मे स्थित है। उक्त कृषि आराजी भूमि पर प्रार्थीगण को आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिससे कृषि कार्य करना सम्भव नही है आज दिन तक प्रार्थीगण पडौसी खातेदार खसरा नम्बर 235 रकबा 02–13 बीघा भूमि जो अप्रार्थीगण के कब्जे खातेदारी की भूमि है मे से आवागमन करते आ रहे है परन्तु अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 235 की भूमि पर तारबन्दी कर प्रार्थीगण का आवागमन बन्द कर दिया है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नही है यानि कि विकल्प मे कोई रास्ता मौजूद नही है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 232, 236 पर आवागमन हेतु 30 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 235 मे से जो खसरा नम्बर 234 किस्म रास्ता के लगता हुआ होने से आवागमन हेतु आवश्यकता है। प्रार्थीगण कानूनन डी. एल.सी दर की दुगनी राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण उक्त हब्स धारा के अन्तर्गत अपनी खातेदारी पर आवागमन हेतु रास्ता पाने के अधिकारी है अतः प्रार्थीगण के हक मे एंव अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा पोसालिया के खसरा नम्बर 235 मे से खसरा नम्बर 232,236 पर जाने हेतु 30 फीट चौडा एंव खसरा नम्बर 234 से 236 की लम्बाई तक रास्ता राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण के नाम तरमीम कर दर्ज करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.7.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस एंव तहसीलदार शिवगंज को राजस्थान अभिघृति अधि. 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत पंत्राक 448 दिनाक 10.9.2020 जारी किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तामील होकर प्राप्त। प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता सुरेश खण्डेलवाल उपस्थित होकर वकालातनामा पेश किया दिनाक 17.8.2020 को तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज की और से जवाब तथा दिनाक 3.9.2020 को अप्रार्थीगण की और से जवाब मय फहरिस्त दस्तावेज को पेश किया हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनाक 14.12.2020 को तहसीलदार शिवगंज द्वारा मौजा जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ट्रैस एंव मौका फर्द जिसमे प्रस्तावति रा[illegible] लम्बा है जिसका क्षेत्रफल 216 वर्गमीटर बनता है तथा यह मार्ग निकटवर्ती [illegible] खसरा नम्बर 234 से जुडता है तथा लघुतम दुरी पर है प्रस्तावित [illegible] तथा प्रस्तावित रास्ते के भूमि की डी.एल.सी दर 443151 [illegible] के अनुसार कुल कि[illegible]72/– रूपये बनती है। ....शेष पेज [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

पेज संख्या–2

दिनाक 7.1.2021 को उभय पक्षकारान एंव अधिवक्ता उपस्थित की बहस को सुनी गई दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के बीच राजीनामा का इस आशय का पेश किया कि तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एंव नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण को जमीन रास्ता हेतु देने को तैयार है एंवम बदले मे प्रार्थीगण अप्रार्थीगणो को रास्ते हेतु प्राप्त जमीन का डेढ गुणा जमीन अपनी खातेदारी मे से देने को सहमत है। जिससे रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि एंवम एंवज (बदले) मे दी जाने वाली डेढ गुणा जमीन का आपसी सहमति से आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली का तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते आपसी राजीनामा का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया जाने से प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि एंवम एंवज (बदले) मे अप्रार्थीगण द्वारा दी जाने वाली डेढ गुणा जमीन का आपसी सहमति होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण उक्त सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया तहसील शिवगंज में स्थित प्रार्थीगण की कृषि आराजी खसरा नम्बर 232, 236 मे जाने हेतु सलग्न नक्शा मे चिन्हित हरी स्याही से दर्शित डाटेट **ए से बी** अनुसार चौडाई 04 मीटर एंव लम्बाई 54 मीटर चौडा कुल क्षेत्रफल 216 वर्गफीट रास्ता भूमि का मौके पर पैमाईश करवा कर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 235 किस्म ब–3 मे से रास्ता भूमि को कम करने तथा सहमति अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता भूमि के बदले मे प्रार्थीगण को दी जाने वाली डेढ गुणा भूमि 216 x 1.50 = 324 वर्गमीटर को प्रार्थीगण खातेदार की खसरा नम्बर 232,236 के रकबा 09–19 मे से कम कर अप्रार्थीगण की खातेदारी मे जोडने हेतु तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिये जाते है:–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1)के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्धारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में ,राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 की उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्धारा अवधारित दर का दुगुना **अथवाः–भूमि के बदले भूमि का दिया जाना**

अतः मौजा पोसालिया मे अप्रार्थीगण की सयुक्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 2.–13 बीघा में से 54 मीटर लम्बा एंव 04 मीटर चौडा रास्ता जो नक्शे मे बिन्दु संख्या ए से बी मे प्रदर्शित एंव जिसका कुल क्षेत्रफल 216 वर्गमीटर है, को सरकारी खाते मे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एंवम उसके बदले मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 236 मे से घोषित रास्ते की डेढ गुणा भूमि जिसकी लम्बाई 54 मीटर चौडाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर खसरा नम्बर 235 के किनारे किनारे बिन्दु बी से सी तक अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिवगज को आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी,एंवम राजस्व नक्शे मे अमल दरामद की कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज(सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/ दिनांक

प्रतिलिपिःपालनार्थः–
1. तहसीलदार शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज(सिरोही)

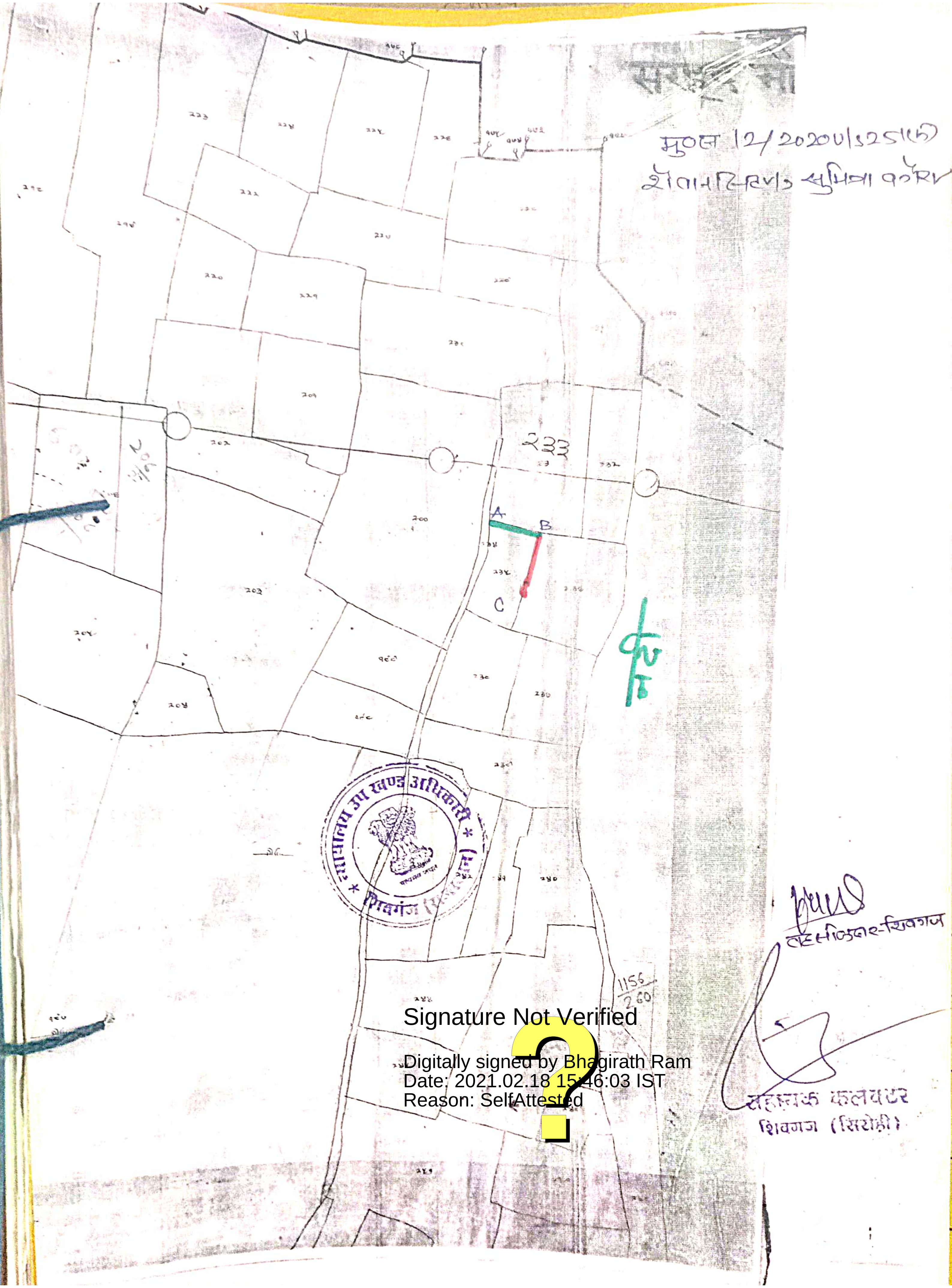

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:03 IST
Reason: SelfAttested